जगदीश नारायण v/s हनुमान 2022/407

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष
		में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सं. 1 ता 10 खातेदार काश्तकार रिकॉर्ड है। प्रार्थी अपने खातेदारी अधिकार की घोषणा करवाकर उक्त आराजी का बंटवारा करवाने हेतु दावा पेश किया है। जिससे प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के हक में सिद्ध होता है। सुविधा का संतुलन भी उभयपक्षों के हक में है। अपूर्णनीय क्षति :- वादग्रस्त आराजी में दावा घोषणा इन्द्राज दुरुस्ती एवं विभाजन का निस्तारण से शेष है यदि दौराने दावा किसी भी पक्ष को खुर्द-बुर्द किया जाता है, तो दोनो ही पक्षों को अपूर्णनीय क्षति होना संभावित है। अतः उक्त वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में उभयपक्षों को मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु ताफैसला मूल दावा/वाद के पाबन्द किया जाता है। पत्रावली नामजद से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला-जयपुर	